

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

शुद्धि पत्र

पटना, दिनांक/2019

ज्ञाप सं०-2/वि.60-91/2015-...../ विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-90 दिनांक-03.07.2019 (प्रति संलग्न) की कंडिका-3 निम्नरूप से प्रतिस्थापित किया जाता है।

“3. इस राशि की निकासी, अवर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा श्री परमानन्द मिश्र को ₹ 20,000/- (बीस हजार रुपये) मात्र उनके बैंक खाता सं०-10287423729, IFSC Code-SBIN0003115, विभा सिन्हा को ₹ 20,000/- (बीस हजार रुपये) मात्र उनके बैंक खाता सं०-0474010111553, IFSC Code-UTBIOLGT443, एवं प्रकाश कम्पनी को ₹ 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) मात्र उनके बैंक खाता सं०-0599250021863, IFSC Code-UTBIOSKP462 के माध्यम से किया जायेगा।”

2. स्वीकृत्यादेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं०-2/वि.60-91/2015-...../ पटना, दिनांक/2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक/ पटना, दिनांक/2019

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 224 / पटना, दिनांक 03/9 /2019

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अवर सचिव/निदेशक, (सांस्कृतिक कार्य)/उप निदेशक (कला एवं संस्कृति)/प्रशाखा पदा०-1 एवं 2/लेखाशाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/आई०टी० मैनेजर, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/श्री परमानन्द मिश्र, पटना/श्रीमती विभा सिन्हा, पटना एवं प्रकाश कम्पनी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.9.19

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञाप सं-2/वि.60-91/2015-90/

पटना, दिनांक 03/7/2019

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय :- आई0ए0एस0 वाईफ़स एसोशिएशन, बिहार द्वारा दिनांक-16 मार्च, 2019 को होली मिलन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति एवं प्रकाश, ध्वनि की व्यवस्था के निमित्त कुल ₹ 55,000/- (पचपन हजार रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-08 के अधीन बजट शीर्ष "2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-0101-कला और संस्कृति का संवर्द्धन विपत्र कोड-08-2205001020101 के अंतर्गत विषय शीर्ष 2002 कॉन्स, कार्यशाला सेमिनार में होगा।
- इस राशि की निकासी, अवर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परमानन्द मिश्र को ₹ 20,000/- (बीस हजार रुपये) मात्र, विभा सिन्हा को ₹ 20,000/- (बीस हजार रुपये) मात्र एवं प्रकाश कम्पनी को ₹ 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) मात्र का भुगतान किया जायेगा।
- यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
- राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

D. 6.19
(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 90/

पटना, दिनांक 03/7/2019

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

D. 6.19
(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 90/

पटना, दिनांक 03/7/2019

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अवर सचिव/निदेशक, (सांस्कृतिक कार्य)/उप निदेशक (कला एवं संस्कृति)/प्रशाखा पदा0-1 एवं 2/लेखाशाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/आई0टी0 मैनेजर, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/श्री परमानन्द मिश्र, पटना/श्रीमती किमा सिन्हा, पटना एवं प्रकाश कम्पनी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

D. 6.19
(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

Sachy

